



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29012026-269633
CG-DL-E-29012026-269633

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 27, 2026/माघ 7, 1947

No. 18]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 27, 2026/MAGHA 7, 1947

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली 27 जनवरी, 2026

(मामला सं. एडी (ओआई) -14/2024)

विषय: चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से निर्यातित 'थैलिक एनहाइड्राइड' के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत।

1. फा. सं. 7/26/2025.—डीजीटीआर: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली' के रूप में कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (आईजीपीएल), तिरुमलाई केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टीसीएल) और टीसीएल इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (टीसीएलआईपीएल) (तिरुमलाई केमिकल इंडस्ट्रीज की एक 100% स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी) (जिन्हें इसके बाद "आवेदक" के रूप में कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद 'प्राधिकारी' के रूप में कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य, थाइलैंड

और इंडोनेशिया के मूल के या वहां से निर्यातित 'थैलिक एनहाइड्राइड' (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु" या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीएएन" के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दायर किया है।

2. अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार, लगाया गया शुल्क, जब तक कि इसे पहले हटा न लिया जाए, इसे लगाए जाने की तारीख से पांच वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो जाएगा और प्राधिकारी को यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इसी के अनुसार, प्राधिकारी को घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से एक विधिवत साक्ष्य सहित किए गए अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करनी होगी कि क्या शुल्क समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

क. विगत जांच की पृष्ठभूमि

3. प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण., इंडोनेशिया, कोरिया गणराज्य और थाइलैंड से विचाराधीन उत्पाद के आयातों की मूल पाटनरोधी जांच दिनांक 21 मई 2020 को शुरू की गई थी। प्राधिकारी द्वारा पूरी जांच किए के बाद, यह निष्कर्ष निकाला गया कि विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देशों से भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा था और इससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही थी।
4. प्राधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक
5. 9 अगस्त, 2021 की अधिसूचना सं. 43/2021- सीमाशुल्क (एडीडी) के माध्यम से लगाया गया था।
6. उपरोक्त शुल्क अभी दिनांक 8 अगस्त 2026 तक लागू हैं। अतः वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को जारी रखे जाने की आवश्यकता की जांच करने के लिए निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए यह आवेदन दायर किया जा रहा है।

ख. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन)" है, जो कि थैलिक एसिड का मुख्य वाणिज्यिक रूप है। इस जांच में विचाराधीन उत्पाद वही है जैसा कि मूल जांच में परिभाषित गया था, जो इस प्रकार है:

"वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद 'थैलिक एनहाइड्राइड' (पीएएन) है। थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन) थैलिक एसिड का एक एनहाइड्राइड है और इसका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से ऑर्थो-ज़ाइलीन या नेफ़थलीन का कैटेलेटिक ऑक्सीडेशन करके किया जाता है। यह एक रंगहीन ठोस है, जिसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे थैलिक एनहाइड्राइड फ्लेक्स, थैलिक एनहाइड्राइड (98% मिन.), थैलिक एसिड एनहाइड्रस, थैलिक एनहाइड्राइड (99.8% मिन.), आदि। थैलिक एनहाइड्राइड के विनिर्देशनों में इसकी भौतिक बनावट, ठोस फ्लेक्स का रंग, पिघले हुए उत्पाद का रंग, ठोसकरण का बिंदु, भार के अनुसार थैलिक एनहाइड्राइड की मात्रा, भार के अनुसार अन्य एनहाइड्राइड और ऑर्गेनिक अशुद्धियों की मात्रा और एसिडिटी इंडेक्स शामिल हैं।"

विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के तहत उप शीर्ष 29173500 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। यह सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।"

8. उत्पाद का आकलन उसके शुद्धता के स्तर से किया जाता है, जो कि अंतिम उत्पाद में भार के अनुसार थैलिक एनहाइड्राइड की प्रतिशतता होती है। शुद्धता को मापने के लिए निर्माता एसटीएम और अन्य अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण मानकों का अनुपालन करते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड का उत्पादन करने में उपयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी के कारण उत्पादकों को 99.8% (भार के हिसाब से) से अधिक थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है।
9. चूंकि यह आवेदन निर्णायक समीक्षा के लिए है, अतः विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जो विगत जांच परिणाम में दर्शाया गया था।
10. आवेदक ने किसी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया है।

उपयोग:

11. थैलिक एनहाइड्राइड प्लास्टिक इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण रासायनिक मध्यवर्ती (कैमिकल इंटरमीडिएट) होता है। इस उत्पाद के विभिन्न उपयोगों में प्लास्टिसाइज़र, पॉलिएस्टर रेज़िन, पेंट और लैकर में इस्तेमाल होने वाले एल्किड रेज़िन, पॉलिएस्टर पॉलीओल्स, डाई और पिगमेंट आदि शामिल हैं।
12. इस जांच से संबद्ध हितबद्ध पक्षकार इस जांच के शुरू होने की तारीख या इस नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर, पीयूसी – पीसीएन के दायरे पर अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हो, तो दे सकते हैं।

ग. समान वस्तु

13. आवेदकों ने यह दावा किया है कि विचाराधीन वस्तु, जिसका भारत में पाटन किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान है। पाटित आयात और घरेलू स्तर पर उत्पादित विचाराधीन वस्तु के तकनीकी विनिर्देशन, गुणवत्ता, कार्य या अंतिम उपयोग में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही तकनीकी और व्यावसायिक दृष्टि से एक दूसरे के स्थान पर उपयोग की जा सकती हैं और इसलिए नियमावली के तहत उन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः, वर्तमान जांच के प्रयोजन से, भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित विचाराधीन वस्तु को विचाराधीन देशों से आयात की जा रही विचाराधीन वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति

14. यह आवेदन आईजी पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, तिरुमलाई कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और टीसीएल इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (जो कि तिरुमलाई कैमिकल इंडस्ट्रीज की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है) द्वारा दायर किया गया है। आवेदकों के अलावा, भारत में घरेलू समान वस्तु का एक अन्य उत्पादक भी है जिसका नाम केएलजे पैट्रोप्लास्ट लिमिटेड है, जिसने जून 2023 में उत्पादन शुरू किया है और इस उत्पादक ने आवेदन का समर्थन किया है।
15. इसे देखते हुए और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियम 2(ख) के तात्पर्य से घरेलू उद्योग के अंतर्गत आता है। यह आवेदन नियम 5(3) के अनुसार स्थिति की अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ड. संबद्ध देश

16. इस जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., कोरिया गणराज्य और थाईलैंड हैं। (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" के रूप में कहा गया है) इंडोनेशिया के खिलाफ जांच शुरू नहीं की जा रही है क्योंकि इंडोनेशिया से एंटी-डंपिंग शुल्क समाप्त होने की स्थिति में डंपिंग जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना और घरेलू उद्योग को नुकसान के संबंध में कोई विधिवत प्रमाणित आवेदन नहीं है।

च. जांच की अवधि

17. इस जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह) तक की है। क्षति जांच की अवधि में अप्रैल 2022 - मार्च 2023, अप्रैल 2023 - मार्च 2024, अप्रैल 2024 - मार्च 2025 और जांच की प्रस्तावित अवधि शामिल है।

छ. कथित पाटन का आधार**i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य**

18. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाना चाहिए और चीन के उत्पादकों से यह दर्शाने के लिए कहा जाना चाहिए कि उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं। जब तक चीन के उत्पादक यह नहीं दर्शाते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां मौजूद हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध - I के पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
19. आवेदकों ने उस कीमत के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की है, जिस पर विचाराधीन उत्पाद को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पादकों द्वारा इन देशों के उपभोक्ताओं को बिक्री की जा रही है

(अर्थात्, घरेलू कीमत) या बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पादन लागत। वास्तविक बिक्री कीमत का कोई भी सत्यापन करने योग्य साक्ष्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था। आवेदक बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में वास्तविक बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित नहीं कर सके।

20. आवेदकों ने "किसी अन्य उचित आधार" पर सामान्य मूल्य तय करने का प्रस्ताव किया है। इसके लिए, आवेदकों ने मार्जिन के लिए उचित वृद्धि के साथ अपनी उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य तय किया है। आवेदकों द्वारा प्रस्तावित पद्धति को जांच शुरू करने के उद्देश्य से माना गया है।

ii. कोरिया गणराज्य और थाईलैंड के लिए सामान्य मूल्य

21. आवेदकों ने यह अनुरोध किया है कि वे संबंधित देशों में थैलिक एनहाइड्राइड के लिए सत्यापन करने योग्य घरेलू बिक्री मूल्य प्राप्त नहीं कर सके। अतः, आवेदकों ने नीचे दी गई कार्यपद्धति के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है:

- क. कच्ची सामग्री की कीमतें – संबद्ध देश में कच्ची सामग्री के निर्यात कीमत के आधार पर।
- ख. अन्य रूपांतरण लागतें: उपलब्ध तथ्यों के आधार पर
- ग. बिक्री/ सामान्य और प्रशासनिक व्यय : उपलब्ध तथ्यों के आधार पर
- घ. लाभों में तर्कसंगत बढ़ोत्तरी।

22. आवेदकों द्वारा प्रस्तावित कार्यपद्धति पर विचार किया गया है। तथापि, जांच शुरू करने के प्रयोजन के लिए, सामान्य मूल्य आवेदकों की उत्पादन लागत के आधार पर लाभों में तर्कसंगत बढ़ोत्तरी के साथ निर्धारित किया गया है।

i. निर्यात कीमत

23. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत को डीजी सिस्टम्स के लेन देन-वार आयात डेटा में सूचित की गई सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर तय किया गया है। समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, बंदरगाह व्यय, ऋण लागत और वस्तुसूची रखने की लागत के लिए समायोजन किए जाने का दावा किया गया है।

ii. पाटन मार्जिन

24. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जिससे *प्रथम दृष्ट्या* यह सिद्ध होता है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में संबद्ध देशों से आयातित पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम के स्तर से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

ज. क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और कारणात्मक संबंध

25. आवेदक ने पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हो रही निरंतर क्षति के संबंध में प्रारंभिक साक्ष्य प्रदान किए हैं। पाटित किए गए आयातों के कारण कीमतों में गिरावट ने पूरी लागत की वसूली करने और लाभों की उचित बढ़ोत्तरी को हासिल करने के लिए कीमतों में सुधार को रोक दिया है। आवेदक को वित्तीय नुकसान, नकदी लाभ में भारी गिरावट, और लगाई गई पूंजी पर नकारात्मक प्रतिफल का सामना करना पड़ रहा है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि मौजूदा जांच में और अधिक क्षति होने की संभावना है और उसने अतिरिक्त क्षमता, निर्यात पर ध्यान और भारत की कीमतों के आकर्षक होने के संबंध में जानकारी दी है।
26. आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी, *प्रथम दृष्ट्या*, विषयगत देशों पर एंटी-डंपिंग शुल्क की समाप्ति की स्थिति में डंपिंग के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को चोट लगने की संभावना को दर्शाती है।

झ. निर्णायक समीक्षा जांच की शुरुआत

27. आवेदक के विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर, और आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्ट्या* साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के बाद, जो कि पाटन और क्षति के जारी जारी रहने/ पुनरावृत्ति होने की संभावना को सिद्ध करते हैं, और नियमावली के नियम 23 (1ख) के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क(5)

के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए एक निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हैं, और यह जांच क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

ज. प्रक्रिया

28. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ट. सूचना की प्रस्तुति

29. सभी इच्छुक पार्टियों को SETU पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर खुद को पंजीकृत करना आवश्यक है। इच्छुक पार्टियों से सभी संचार और प्रस्तुतियाँ SETU पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी- AD/SSR/11112025/01 के तहत अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सबमिशन का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/एमएस-वर्ड प्रारूप में है और डेटा फ़ाइलें एमएस-एक्सेल प्रारूप में हैं।
30. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में अपने दूतावास के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकार और भारत में आयातकों और उपयोगकर्ताओं को, जो विचाराधीन उत्पाद से संबद्ध होने के लिए जाने जाते हैं, उन्हें अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित की गई समय सीमा के भीतर सभी संगत जानकारी प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त जानकारी इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
31. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित की गई समय सीमा के भीतर इस जांच शुरुआत अधिसूचना, नियमों और प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए लागू व्यापार नोटिस द्वारा निर्धारित प्रारूप और निर्धारित तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकते हैं।
32. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी भी पक्षकार को उसी का एक अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना होगा।
33. इच्छुक पार्टियों को सलाह दी जाती है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन जानकारी के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और SETU पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित नजर रखें। इच्छुक पार्टियों को निर्देश दिया जाता है कि वे नियमित रूप से डीजीटीआर की वेबसाइट (<https://www.dgtr.gov.in/>) पर जाएं ताकि विषय की जांच में आगे की प्रगति से अवगत रहें और प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचना और ऐसी अन्य जानकारी के संबंध में समय-समय पर जारी किए जा सकने वाले नोटिस के बारे में सूचित रहें।

ठ. समय सीमा

34. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी जानकारी SETU पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम और संबंधित केस आईडी -AD/SSR/11112025/01 के तहत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों संस्करण, गोपनीय संस्करण (सीवी) और गैर-गोपनीय संस्करण (एनसीवी) को उस तारीख से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड किया जाना चाहिए, जिस दिन घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन का गैर-गोपनीय संस्करण प्राधिकरण द्वारा प्रसारित किया जाएगा या एडी नियम, 1995 के नियम 6 (4) के अनुसार निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त जानकारी अधूरी है, तो प्राधिकरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और एडी नियम, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
35. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे इस मामले में अपनी रुचि (रुचि की प्रकृति सहित) बताएं और इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर केवल SETU पोर्टल के माध्यम से दाखिल करें।

36. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियाँ दर्ज करने की 15 दिन की अवधि इस पहल अधिसूचना के ऊपर पैरा 28 में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
37. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण विस्तार: यदि प्राधिकरण, बाद के नोटिस के माध्यम से, पीयूसी और पीसीएन को संशोधित करता है जो पहले प्रस्तावित नहीं था या शुरुआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिनों का विस्तार दिया जाएगा। संशोधित पीयूसी और पीसीएन की ऐसी अधिसूचना की तारीख से 15 दिनों का यह विस्तार दिया जाएगा। इस पैराग्राफ में बताए गए 15 दिनों के समय का विस्तार उन मामलों में लागू नहीं है जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एडी नियमों के नियम 6(4) के अनुरूप, 15-दिन के विस्तार (यदि दिया गया) से अधिक समय विस्तार के अनुरोध पर, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, आमतौर पर विचार नहीं किया जाएगा।
38. विस्तार के लिए कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षों द्वारा SETU पोर्टल के माध्यम से उपरोक्त पैराग्राफ 28 में निर्दिष्ट मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय के बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ड. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

39. जहां पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष इस जांच में कोई भी गोपनीय रूप से सूचना प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो उस पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए संबंधित व्यापार नोटिस के अनुसार, उस सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी साथ में प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता के कारण प्रतिक्रिया/प्रस्तुतियाँ अस्वीकार की जा सकती हैं।
40. प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं सहित प्राधिकरण के समक्ष कोई भी प्रस्तुतिकरण (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/अनुलग्नक सहित) करने वाले पक्षों को गोपनीय और गैर-गोपनीय संस्करण अलग-अलग दाखिल करने की आवश्यकता होती है।
41. ऐसी सूचना के प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' या 'अगोपनीय' अंकित होना चाहिए। प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई भी सूचना, जिस पर इस प्रकार का अंकन नहीं किया गया होगा, उसे प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी सूचना देखने की अनुमति दें।
42. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो स्वभाविक रूप से गोपनीय है, और/ या अन्य सूचना, जिसे प्रदान करने वाला गोपनीय बताता है। जो सूचना स्वभाविक रूप से गोपनीय बताई गई है, या जिस सूचना पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण बताना होगा कि ऐसी सूचना क्यों सार्वजनिक नहीं की जा सकती है।
43. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें कि गोपनीय सूचना की सूची बनाई गई हो या खाली छोड़ दिया गया हो (जहां सूची बनाना संभव न हो) और ऐसी सूचना को उचित और पर्याप्त रूप से सारांशित किया जाना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है।
44. अगोपनीय सारांश में इतनी पर्याप्त सूचना होनी चाहिए कि गोपनीय आधार पर दी गई सूचना के सार को समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह बता सकता है कि ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता और पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण के साथ एक कारण बताना होगा कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, और यह प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार होना चाहिए।
45. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।
46. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है या

यदि सूचना प्रदान करने वाला पक्ष सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं।

47. उसके सार्थक गैर-गोपनीय संस्करण या नियमों के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त कारण विवरण और प्राधिकरण द्वारा जारी उचित व्यापार नोटिस के बिना गोपनीयता के दावे पर किए गए किसी भी प्रस्तुतीकरण को प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

ड. सार्वजनिक फ़ाइल का निरीक्षण

48. किसी भी इच्छुक पार्टी द्वारा किए गए सबमिशन के सभी गैर-गोपनीय संस्करण SETU पोर्टल पर उनके संबंधित लॉगिन के माध्यम से अन्य इच्छुक पार्टियों के लिए पहुंच योग्य होंगे।

ण. असहयोग

49. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार सूचना तक पहुंच प्रदान करने से इनकार करता है और उचित समय के भीतर या इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई समय के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है, या जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा उत्पन्न करता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को ऐसे यथाउपयुक्त सुझाव दे सकते हैं।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(Directorate General of Trade Remedies)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi 27th January, 2026

CASE No. AD (SSR)- 14/2025

Subject: Initiation of sunset review anti-dumping investigation concerning imports of 'Phthalic Anhydride' from China PR, Korea RP and Thailand.

1. **F. No. 7/26/2025 -DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules'), IG Petrochemicals Limited (IGPL), Thirumalai Chemical Industries Limited (TCL) and TCL Intermediates Private Limited (TCL IPL) (a 100% owned subsidiary of Thirumalai Chemical Industries) (hereinafter referred to as "applicants") have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the 'Authority'), for initiation of the sunset review investigation of anti-dumping duty on imports of 'Phthalic Anhydride' (hereinafter also referred to as "subject goods" or "product under consideration or "PAN"), originating in or exported from China PR, Korea RP, Thailand and Indonesia.
2. In terms of Section 9A (5) of the Act, the anti-dumping duty imposed shall, unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition, and the Authority is required to review whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury. In accordance with the same, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.
- A. Background of previous investigation.**
3. The original anti-dumping investigation into imports of product under consideration from China PR, Indonesia, Korea RP and Thailand was initiated by the Authority on 21st May 2020. After thorough investigation by the Authority, it was concluded that the product under consideration was being dumped from the subject countries in the Indian market and was causing material injury to the domestic industry.
4. The Authority recommended imposition of anti-dumping duty which was imposed by the Ministry of Finance vide Notification No. 43/2021- Customs (ADD) dated August 9th, 2021.

5. The aforesaid duties are presently in force till 8th August 2026. Thus, the present application is being filed for initiation of sunset review investigation, to examine the need for continuation of the existing anti-dumping duty.

B. Product under consideration (PUC).

6. The product under consideration in the present investigation is “Phthalic Anhydride (PAN)”, the principal commercial form of Phthalic Acid. The product under consideration in the present investigation is same as defined in the original investigation which is as follows:

“The product under consideration in the present application is "Phthalic Anhydride" (PAN). Phthalic Anhydride (PAN) is an anhydride of Phthalic Acid and is commercially produced by catalytic oxidation of Ortho-xylene or Naphthalene. It is a colorless solid, variously referred as Phthalic Anhydride flakes, Phthalic Anhydride (98% min.), Phthalic Acid Anhydrous, Phthalic Anhydride (99.8% min), etc. Specifications of Phthalic Anhydride includes its physical appearance, color of solid flakes, color of molten product, solidification point, Phthalic Anhydride content by weight, other anhydrides & organic impurities' content by weight and acidity index.”

The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 29173500. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.”.

7. The product is assessed by its purity level, which is the percentage of Phthalic Anhydride by weight in the final product. ASTM and other international testing standards are followed by manufacturers to measure the purity. The technology used to produce Phthalic Anhydride enables producers to get more than 99.8% (by weight) of Phthalic Anhydride.
8. Since the present application is for sunset review, the scope of the product under consideration remains the same as defined in the previous finding.
9. The applicant has not proposed any PCN methodology.

Uses:

10. Phthalic Anhydride is an important chemical intermediate in plastic industry. Various uses of the product include plasticizers, polyester resins, alkyd resins used in paints and lacquers, polyester polyols, dyes and pigments etc.
11. The interested parties in the subject investigation may offer their comments on the scope of PUC-PCN, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation or date of the receipt of this notice.

C. Like article.

12. The Applicants have claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, quality, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as Like Article to the subject goods being imported from the subject countries.

D. Domestic industry and standing.

13. The application has been filed by IG Petrochemicals Limited, Thirumalai Chemical Industries Limited and TCL Intermediates Private Limited (a 100% owned subsidiary of Thirumalai Chemical Industries). Apart from the applicants, there is one other producer of the domestic like article in India namely KLJ Petroplast Limited which has commenced the production in June 2023, and the producer has supported the application.
14. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

E. Subject countries.

15. The subject countries in the present investigation are China PR, Korea RP and Thailand (hereinafter also referred to as the “subject countries”). Investigations are not being initiated against Indonesia as there is no duly substantiated application with regards to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty from Indonesia.

F. Period of investigation.

16. The period of investigation (POI) for the investigation is from 1st October 2024 to 30th September 2025 (12 months). The injury examination period is April 2022 - March 2023, April 2023 – March 2024, April 2024 - March 2025 and the proposed period of investigation.

G. Basis of alleged dumping.

i. Normal value for China PR

17. The Applicants have submitted that China PR should be treated as a non-market economy, and the Chinese producers should be called upon to show that market economy conditions prevail in the industry with regard to the production and sale of the product. Unless the Chinese producers show that such market economy conditions prevail, their normal value should be determined in accordance with Para 7 of Annexure – I to the Anti-Dumping Rules.
18. The applicants attempted to get evidence of the price at which the product under consideration is being sold by the producers in a market economy third country to the consumers in these countries (i.e., domestic price) or cost of production in the market economy third country. No verifiable evidence of the actual selling price was publicly available. The applicants could not determine normal value based on actual selling price in a market economy third country.
19. The applicants have proposed to determine the normal value on the basis of “any other reasonable basis”. For the same, the applicants determined normal value based on its cost of production with reasonable addition for margins. The methodology proposed by the applicants has been considered for the purpose of initiation.

ii. Normal value for Korea RP & Thailand

20. The applicants have submitted that they could not obtain verifiable domestic selling prices for Phthalic Anhydride in the subject countries. Therefore, the applicants have proposed to determine normal value as per below methodology.
- Raw material prices – based on export price of raw material in the respective country.
 - Other conversion costs: based on facts available
 - Selling/General and administrative expenses: based on facts available
 - Reasonable addition of profits
21. The methodology proposed by the applicants has been considered. However, for the purpose of initiation, the normal value has been determined based on the cost of production of the applicants with the reasonable addition for profits.

i. Export price

22. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems transaction wise import data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, commission, bank charges, port expenses credit costs and inventory carrying costs.

ii. Dumping margin

23. The normal value and the export price have been compared at the ex-factory level, which *prima facie* establishes that the dumping margin with respect to the product under consideration imported from the subject countries is not only above the de minimis level but is also significant.

H. Likelihood of continuation or recurrence of injury and causal link

24. The applicants have provided *prima facie* evidence with respect to the continued injury suffered by the domestic industry because of the dumped imports. The price depression caused by dumped imports have been prevented the price movement to recover the full cost and achieve a reasonable rate of return. The applicants are suffering from financial losses, significant decline in cash profits, and negative return on capital employed. The applicants have also claimed that there is a likelihood of further injury in the present investigation and provided information on surplus capacities, export orientation, and price attractiveness of India.
25. The information provided by the applicant, *prima facie*, shows likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry in the event of cessation of anti-dumping duty in the event of cessation of anti-dumping duty on subject countries.

I. Initiation of sunset review investigation.

26. On the basis of the duly substantiated application of the applicant, and having satisfied itself on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating the likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, and in accordance with Section 9A(5) of the Act read with Rule 23 (IB) of the Rules, the Authority hereby initiates a sunset review investigation to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to examine whether the expiry of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

J. Procedure.

27. Principles, as given in Rule 6 of the Rules, will be followed for the present investigation

K. Submission of information.

28. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case ID- AD/SSR/11112025/01. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
29. The known producers/exporters in subject countries, the government of subject countries through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
30. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
31. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
32. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal(<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

L. Time limit.

33. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case ID-AD/SSR/11112025/01. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
34. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
35. The 15-day period to file comments on the scope of the PUC/ PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 28 above of this Initiation Notification.
36. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will

ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 6(4) of the AD Rules.

37. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in paragraph 28 above. Requests submitted after this time will not be considered

M. Submission of information on confidential basis.

38. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
39. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.
40. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
41. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
42. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
43. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
44. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
45. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
46. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

N. Inspection of public file.

47. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

O. Non-cooperation.

48. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority